कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2015 तक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 570 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) थे। इनमें 390 सरकारी कम्पनियां, 174 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां तथा छः सांविधिक निगम शामिल थे। यह रिपोर्ट 365 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों (छः सांविधिक निगमों सहित) और 156 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां की चर्चा करती है। उन्नचास कम्पनियां (19 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां सहित) जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षो से लम्बित थे या जो निष्क्रीय/परिसमापन के अन्तर्गत थी, को रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है।

[पैरा 1.1.3]

सरकारी निवेश

365 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं ने दर्शाया कि भारत सरकार ने शेयर पूंजी में ₹ 2,65,499 करोड़ का निवेश किया था तथा 31 मार्च 2015 तक ₹ 51,642 करोड़ की राशि का ऋण बकाया था। पिछले वर्ष की तुलना में सीपीएसईज की इक्विटी में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निवेश ने ₹ 15,512 करोड़ की निवल वृद्धि हुई तथा उनको दिए गए ऋण ₹ 3,110 करोड़ तक कम हुए। भारत सरकार ने 7 सीपीएसईज में अपने शेयरों के विनिवेश पर ₹ 24,349 करोड़ की प्राप्ति की तथा प्राथमिक शेयरो के विमोचन के कारण ₹ 563 करोड़ प्राप्त किए।

[पैरा 1.2.1 तथा 1.2.2]

बाजार पूंजीकरण

46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों सहित) जिन्होंने 31 मार्च 2015 तक स्टॉक मार्केट में प्रचलित मूल्यों के अनुसार व्यापार किया था, के शेयरों का बाजार

मूल्य ₹ 13,27,781 करोड़ था। 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियोंय (4 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) में भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च, 2015 तक ₹ 9,27,531 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

निवेश पर प्रतिफल

205 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा अर्जित कुल लाभ ₹ 1,37,338 करोड़ था जिसमें से 66 प्रतिशत (₹ 90,901 करोड़) तीन क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोलिमय, कोयला एवं लिग्नाइट तथा विद्युत के अन्तर्गत 48 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा दिया गया था।

[पैरा 1.3.1]

एक सौ बारह सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 57,749 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इसमें से, भारत सरकार द्वारा प्राप्त करने योग्य लाभांश ₹ 33,771 करोड़ था जिसने सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में भारत सरकार द्वारा कुल निवेश (₹ 2,65,499 करोड़) पर 12.72 प्रतिशत प्रतिफल प्रस्तुत किया।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत दस सरकारी कम्पनियों ने सभी सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 25.40 प्रतिशत प्रस्तुत करते हुए ₹ 14,667 करोड़ का योगदान दिया।

17 कम्पनियों द्वारा लाभांश की घोषणा में सरकार के निर्देश का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2014-15 के लाभांश के भुगतान में ₹ 2,521 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.2]

निवल परिसम्पत्ति/संचित हानि

157 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, जिनमें संचित हानि थी, में से, 64 कम्पनियों में इक्विटी निवेश को उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। परिणामस्वरूप, इन कम्पनियों की कुल निवल सम्पत्ति 31 मार्च 2015 तक ₹ 74,100 करोड़ की सीमा तक नकारात्मक हो गई थी। 2014-15 के दौरान 64 कम्पनियों में से केवल सात कम्पनियों ने ₹ 304 करोड़ का लाभ प्राप्त किया।

[पैरा 1.4.1]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

564 सीपीएसईज में से 483 सीपीएसईज से समय पर (अर्थात 30 सितम्बर 2015 तक) वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखे प्राप्त किए गए थे। इनमें से 277 सीपीएसईज के लेखों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

[पैरा 2.3.2 तथा 2.5.2]

वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सीएजी ने सर्वसम्मति के आधार पर सीपीएसईज के लेखो की तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। यह उनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार का कारण बना था। वर्ष 2014-15 के लिए 57 सीपीएसईज में तीन चरणीय लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव लाभदायिकता पर ₹ 8387.82 करोड़ था तथा परिसम्पत्तियों/ देयताओं पर ₹ 16,394.97 करोड़ था।

[पैरा 2.5.1]

लेखाओं पर सीएजी की टिप्पणियों का प्रभाव

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के फलस्वरूप सीएजी द्वारा बहुत सी टिप्पणियां जारी की गई थी। सांविधिक निगमो जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणियों के अलावा ₹ 405.34 करोड़ की राशि की चूको में सुधार सीएजी की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप किया गया था।

[पैरा 2.5.3]

लेखांकन मानको से विचलन

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 31 सरकारी कम्पनियों में वित्तीय विवरणों के तैयार करने में लेखांकन मानको के प्रावधानों से विचलन देखा गया था। सीएजी ने भी 20 अन्य कम्पनियों में ऐसे विचलनो को दर्शाया।

[पैरा 2.6]

प्रबन्धन पत्र

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई वित्तीय रिपोर्टो मे या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमतितता तथा कमियों का सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'प्रबन्धन पत्र' के माध्यम 104 सीपीएसईज के प्रबंधन को बताया गया था।

[पैरा 2.7]

III. निगमित अभिशासन

इस अध्याय में विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 49 कम्पनियों को कवर किया गया है। यद्यपि, डीपीई/ सिक्युरिटिज़ एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशानिर्देश अनिवार्य है, तथापि कुछ सीपीएसईज द्वारा उनका पालन नहीं किया जा रहा है। निर्धारित दिशानिर्देशों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- 29 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं था। 16 सीपीएसईज में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

[पैरा 3.2.2.1 तथा 3.2.2.2]

- 18 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशको तथा कार्यकारी निदेशकों के पद को क्रमश: तीन तथा छ: माह बीत जाने के पश्चात भी भरा नहीं गया था। दो सीपीएसईज में लेखापरीक्षा समिति की चार से कम बैंठके आयोजित की गई थी।

[पैरा 3.2.5 तथा 3.3.5]

- पांच सीपीएसईज मे कोई चेतावनी तंत्र नहीं था। चार सीपीएसईज में लेखापरीक्षा समिति ने चेतावनी तंत्र की समीक्षा नहीं की।

[पैरा 3.3.9]

IV. सीपीएसईज द्वारा नकद अधिशेष का प्रबंधन

सीपीएसईज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 31 मार्च 2015 तक, 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के पास ₹ 1,62,970 करोड़ का नकद और बैंक बैलेंस तथा 31 जुलाई, 2015 तक ₹13,50,506 करोड़ की बाजार पूंजी थी। 36 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के अधिशेष नकद के प्रबंधन के अध्याय को लाभांश भुगतान, बोनस शेयरों के मुद्दे, शेयरों को पुन: खरीदना तथा निवेश नीति पर इन सीपीएसईज द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था। इसकी भी जांच की गई थी कि क्या सीपीएसईज के पास अधिशेष नकद का उपयोग करने के लिए पर्याप्त परियोजना योजनाएं है। सुरक्षा, नकदी तथा लाभदायिकता के मामलों को सम्बोधित करने के लिए निवेश की सुरक्षा और भौतिक सत्यापन तथा ऋणों के पुन: भुगतान पर सीपीएसईज द्वारा लिए गए निर्णय, म्युचुअल फंड और इक्विटी में निवेश की भी जांच की गई थी।

[पैरा 4.1.2, 4.3 तथा 4.5.4]

- चार सीपीएसईज ने कर के पश्चात् पर्याप्त लाभ रखने के बावजूद डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक रूप में ₹ 1,718 करोड़ का लाभांश संवितरित नहीं किया।

[पैरा 4.5.1.2]

- तीन सीपीएसईज ने अधिक मुक्त रिजर्व रखने के बावजूद अपर्याप्त पीएटी के कारण डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में ₹ 5,237 करोड़ का लाभांश संवितरित नहीं किया।

[पैरा 4.5.1.3]

- 27 सीपीएसईज के मामले में, मुक्त रिजर्व उनकी भुगतान की गई पूंजी के तीन गुना अधिक थे। हालांकि, 24 सीपीएसईज के मामले में डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में बोनस शेयर जारी नहीं किए गए थे। बॉमर लॉरी एंड क. लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की तीन सीपीएसईज के मामले में बोनस शेयरो के जारी होने के पश्चात भी उनके रिजर्व उनकी भुगतान की गई पूंजी के तीन गुना से अधिक थे। उन्होने डीपीई दिशानिर्देशो के अनुसार बोनस शेयरो के मामले पर विचार नहीं किया।

[पैरा 4.5.2.2]

- आठ सीपीएसईज के मामले में, प्रबंधनों को डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में शेयरो को पुन: खरीदने की व्यवस्था करने के लिए संबंधित अनुच्छेदो में अभी संशोधन करना है।

[पैरा 4.5.3.2]

- नकद अधिशेष के उपयोग को 23 सीपीएसईज के एमओयूज में निष्पादन को मॉनीटर करने के लिए एक वित्तीय पैरामीटर के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था।

[पैरा 4.5.3.4]

- एमएमटीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, दी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड, दी फर्टीलाइजर एंड केमिक्लस

ट्रॉवनकोर लिमिटेड तथा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर लिमिटेड नाम की दस सीपीएसईज ने डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में नकद अधिशेष का निवेश करने के लिए अपनी निवेश नीति की व्यवस्था नहीं की।

[पैरा 4.5.4.1]